निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 121/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
राजेश दत्तक पुत्र मंगला जाति मीणा निवासी ढाणी ठेलड़ी ग्राम निमोरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री नीरज मीणा आर.ए.एस. सहायक जिलाधीश बस्सी, जिला जयपुर।
2. नाथू पुत्र श्योजी
3. गोविन्दा पुत्र सोन्या
4. रामरतन पुत्र लच्छा
5. कैलाश पुत्र लच्छा
6. रामप्रकाश पुत्र लच्छा
7. सीताराम पुत्र लच्छा
8. मदन पुत्र लच्छा
9. रमेश पुत्र रामजीलाल
10. राकेश पुत्र रामजीलाल
11. कैलाश पुत्र प्रभातीलाल

    समस्त जाति मीणा निवासी ठेलड़ी की ढ़ाणी, ग्राम निमोरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 05/2020 एवं 11/2020 ब उनवानी नाथूलाल बनाम गोविन्दा व अन्य ।

उपस्थितः–

1. श्री .श्याम सुन्दर खण्डेलवाल .अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रामगोपाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांक 28-01-2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष प्रकरण संख्या 05/2020 व 11/2020 ब–उनवानी नाथूलाल बनाम गोविन्द व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर बस्सी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामगोपाल शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 15.12.2020 को अप्रार्थीगण नाथू व गोविन्दा ने गांव में प्रार्थी को चिड़ाते हुए यह कहना शुरू कर दिया कि हमारी अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से सेटिंग हो गई है, बात हो गई है एवं आगामी पेशी पर प्रकरण खारिज हो जायेगा। दिनांक 15.12.2020 को अप्रार्थी के अधिवक्ता का पूर्व से प्रस्तुत वकालतनामा को रिकार्ड पर लेने व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पेश किये जाने व तहसीलदार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के बाबत् लिखा गया व आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.12.2020 नियत की गई। दिनांक 24.12.2020 को अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस हेतु दबाव बनाया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बाबत् तहसीलदार रिपोर्ट व मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 49/2015 को तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं दोनो पक्षों की बहस सुनकर आगामी पेशी वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2020 नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 28.12.2020 को मान्य न्यायालय ने अपने द्वारा जारी आदेश दिनांक 3.9.2020 बाबत् तहसीलदार रिपोर्ट को वापस लेते हुए प्रार्थी के दोनो न्याय संगत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया एवं पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु 31.12.2020 नियत कर दी गई। दिनांक 28.12.2020 को अप्रार्थीगण 1 व 2 ने मौके पर लड्डू बांटकर प्रार्थी के परिवार को चिढ़ाया एवं स्पष्ट रूप से धमकी दी की आगामी पेशी 31.12.2020 को प्रकरण निश्चित रूप से खारिज हो जावेगा। अप्रार्थीगण के उक्त भड़काऊ हरकत व मान्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने ही पूर्व के आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्रों पर आदेश पारित करने से प्रार्थी को यह युक्तियुक्त आशंका हो गई कि प्रार्थी के साथ न्याय नहीं हो सकता। अतः उक्त पत्रावली को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किये जाने के आदेश प्रदान करे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन मय माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर व अन्य न्यायालयों द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में पारित निर्णयों की प्रति प्रस्तुत करते हुए दलील दी है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में हुए निर्णयों की पालना को लम्बित रखने की मंशा से मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, अतः मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. सहायक कलक्टर बस्सी ने अपनी टिप्पणी में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार है।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने से परिलक्षित होता है कि सहायक कलक्टर बस्सी के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रथम दृष्टया प्रार्थी का मकसद प्रकरण का निस्तारण किये जाने

जिला कलक्टर
जयपुर

में विलम्ब करना पाया गया है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा सहायक कलक्टर बस्सी को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 28.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर